न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 176/2024 (GCMS : 2024/257)

बलराम उर्फ सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति जाट निवासी संघर, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर — — — **प्रार्थी**

बनाम

1. **श्री कन्हैया लाल सोनगरा, अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़**
2. **राजू देवी** पुत्री श्री ओम प्रकाश धर्म पत्नी पवन कुमार पुत्र श्री तारू राम जाति जाट निवासी राजनाथ जी की कुटिया के पीछे, वार्ड नम्बर 2/26 नया, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. **विमला देवी** धर्म पत्नी श्री ओम प्रकाश जाट जाति जाट निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. **सुभाष चन्द्र** पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति जाट निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. **संदीप कुमार** पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति जाट निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. **सुमन** पुत्री श्री ओम प्रकाश धर्म पत्नी मोनूराम जाति जाट निवासी बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
7. **सरस्वती देवी** पुत्री श्री ओम प्रकाश धर्म पत्नी महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी रामनाथजी कुटिया के पीछे, वार्ड नम्बर 2 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
8. **व्यवस्थापक,** स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा ए.डी.बी. सूरतगढ़ वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा ए.डी.बी., सूरतगढ़
9. **राजस्थान सरकार** बजरिये तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़

— — — **अप्रार्थीगण**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.02.2025

पत्रावली पेश हुई। **प्रार्थी के अधिवक्ता** श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उसने अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ के न्यायालय में लम्बित प्रकरण अनवार्नाम [illegible] बनाम राज. सरकार वगै. अपील संख्या 109/2022 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब तत्कालीन अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत मुंतकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 109/2022 अनवानी राजू देवी बनाम राज. सरकार वगै. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। तत्कालीन अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:04 IST
Reason: SelfAttested